फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री गणपतलाल **विपक्षी : श्री मोहन**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 25/22**

जीसीएमएस : 2022/71

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 24.12.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी सं. 1 से 6 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा चंगेडी पटवार हल्का चंगेडी तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 123 पर दर्ज आराजी नम्बर 1840, 1841, 1843, 1844, 2020, 2485, 3641/1838, 3703, 1839 किता 8 कुल रकबा 0.8986 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज हैं। जमाबन्दी के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित होना प्रतीत नहीं होता हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का तन्हा खातेदार काश्तकार हैं। ऐसे मे विपक्षीगण को प्रार्थी की तन्हा खातेदारी की भूमि में दखलन्दाजी करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं। इसलिए विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं परन्तु साथ ही न्यायालय का यह भी अभिमत है कि मौके पर यदि कब्जा विपक्षीगण का है तो अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से मौके पर विवाद हो सकता हैं। इसलिए उभय पक्षों को पाबंद किया जाना न्यायोचित पाया जाता हैं। अतः उपरोक्त विवेचना के प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Punadia
Date: 2025.01.31 12:35:28 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक प्रकरण में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा चंगेडी पटवार हल्का चंगेडी तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता संख्या 123 पर दर्ज आराजी नम्बर 1840, 1841, 1843, 1844, 2020, 2485, 3641/1838, 3703, 1839 किता 8 कुल रकबा 0.8986 हेक्टेयर भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त में विपक्षीगण दखलन्दाजी नहीं करे साथ ही यदि कब्जा विपक्षीगण का है तो प्रार्थी, विपक्षीगण को बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। कब्जे सम्बन्धित अधिकार हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकते हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:35:28 IST
Reason: SelfAttested